

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

रिपोर्ट के बारे में

भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं और राज्य वित्तों से संबंधित अन्य मामलों का अवलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस रिपोर्ट की सामग्री पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों और पहलुओं के स्नैपशॉट के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट के प्रयोजन के सापेक्ष प्रदर्शन, राजस्व और व्यय अनुमान, भिन्नताओं के कारणों और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) (वर्तमान मूल्यों पर) 2018-19 में ₹ 2,30,314 करोड़ से 2022-23 में ₹ 3,02,621 करोड़ तक 6.71 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर पर बढ़ा। राज्य का बजट आउटटर्न 10.59 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2018-19 में ₹ 48,037 करोड़ से 2022-23 में ₹ 71,012 करोड़ हो गया।

2021-22 में स रा घ उ में 11.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में 14.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई और स रा घ उ पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2021-22 में 15.82 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 16.22 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान कर राजस्व में 15.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के अपने कर राजस्व में 20.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्तराखंड राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2021-22 में 11.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 46,810 करोड़ से बढ़कर ₹ 52,061 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में 2021-22 से 12.44 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व अधिशेष ₹ 4,128 करोड़ से बढ़कर ₹ 5,310 करोड़ हो गया, जो 2021-22 की तुलना में 28.63 प्रतिशत अधिक है, जबकि राजकोषीय घाटा 2021-22 में ₹ 3,736 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ हो गया, जो 21.07 प्रतिशत कम हो गया।

प्राप्ति-व्यय का असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय दबाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे कि राज्य का अपना कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, करों में राज्यों के अंश का हस्तांतरण, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान और हस्तांतरण में अनुदान और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व खाते

पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्तियों का निर्माण, ऋण और अग्रिम, निवेश, आदि) शामिल हैं।

2018-19 से 2022-23 तक, राजस्व प्राप्तियां 12.93 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 31,216 करोड़ से बढ़कर ₹ 49,083 करोड़ हो गईं। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 7,302 करोड़ से घटकर ₹ 5,065 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का अंश 2018-19 में 24.69 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 34.63 प्रतिशत हो गया, जो भारत सरकार से समर्थन पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है।

राज्य सरकार को वर्ष में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं (सी एस एस) के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 5,968.47 करोड़ प्राप्त हुआ।

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा नेटवर्क में कोई वृद्धि नहीं होती है। 2018-19 और 2022-23 के बीच, राजस्व व्यय ₹ 32,196 करोड़ (स रा घ उ का 13.98 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 43,773 करोड़ (स रा घ उ का 14.46 का प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान इसने कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण अंश (83 से 86 प्रतिशत) बनाया, जो 8.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा था।

साधनों से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। तथापि, वर्ष 2018-19 में राज्य का राजस्व घाटा ₹ 980 करोड़ (स रा घ उ का 0.43 प्रतिशत) था, जो चालू वर्ष में ₹ 5,310 करोड़ (स रा घ उ का 1.75 प्रतिशत) के राजस्व अधिशेष में बदल गया।

राज्य सरकार ने केवल पूंजीगत खाते पर ₹ 8,194 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 में कुल खर्च का 15.74 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2018-19 में ₹ 7,320 करोड़ (स रा घ उ का 3.18 प्रतिशत) से घटकर 2022-23 में ₹ 2,949 करोड़ (स रा घ उ का 0.97 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, वचनबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। वचनबद्ध व्यय का पहला प्रभार संसाधनों पर होता है और इसमें ब्याज का भुगतान, वेतन और मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल होते हैं। ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर वचनबद्ध व्यय 2018-19 (66.46 प्रतिशत) और 2022-23 (58.94 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का

59 से 66 प्रतिशत था। वचनबद्ध व्यय 5.78 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा, यानी 2018-19 में ₹ 21,396 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 25,800 करोड़ {2021-22 (₹ 23,720 करोड़) से 8.77 प्रतिशत की वृद्धि}।

वचनबद्ध व्यय के अतिरिक्त, अनम्य व्यय 2018-19 से 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय के 5.91 प्रतिशत से बढ़कर 8.51 प्रतिशत हो गया, जो बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत देता है। अनम्य व्यय 2021-22 में ₹ 3,311 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 2,549 करोड़ हो गया, जो 23.01 प्रतिशत की कमी दर्ज करता है। 2018-19 (₹ 1,903 करोड़) से 2022-23 (₹ 2,549 करोड़) की अवधि के दौरान अनम्य व्यय की औसत वृद्धि 8.17 प्रतिशत थी।

कुल मिलाकर, 2022-23 में वचनबद्ध और अनम्य व्यय ₹ 28,349 करोड़ था जो राजस्व व्यय का 65 प्रतिशत था। वचनबद्ध और अनम्य खर्च की बढ़ती प्रवृत्ति सरकार को अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

गैर-वचनबद्ध व्यय में अनुदान

गैर-वचनबद्ध व्यय के भीतर, सब्सिडी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो 2018-2019 में ₹ 174 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 289 करोड़ हो गई है, अर्थात् 2018-19 में कुल राजस्व व्यय का 0.54 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 0.66 प्रतिशत हो गई है। खाद्य भंडारण और भंडारण के तहत खाद्य सब्सिडी (₹ 94 करोड़) चालू वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी का 33 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने अंतर्निहित सब्सिडी पर भी ₹ 83.17 करोड़ खर्च किए।

प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

2022-23 में, सरकार ने ₹ 386 करोड़ के ऋण के सापेक्ष प्रत्याभूतियां प्रदान कीं। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति मांगी नहीं गई थी। राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के रूप में ₹ 4.57 करोड़ प्राप्त हुए।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देनदारियों के स्तर, बजट से बाहर ऋण, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे वृहत राजकोषीय मानकों के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक वचनबद्ध और अनम्य व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अनम्य व्यय जैसे कि केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए वचनबद्धता, आरक्षित निधियों में हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि से उत्पन्न होने वाले व्यय।

एफ आर बी एम की आवश्यकताएँ और राजकोषीय मानकों का अनुपालन

एफ आर बी एम अधिनियम/नियम कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं जिनके भीतर, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए और इसी तरह बकाया प्रत्याभूति को उस विशेष वर्ष के स रा घ उ के एक प्रतिशत के भीतर सीमित किया जाता है और किसी भी वर्ष के दौरान दी गई नई प्रत्याभूति उस वर्ष के स रा घ उ के 0.30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2022-23 में, राजस्व अधिशेष, शून्य राजस्व घाटे की सीमा के सापेक्ष स रा घ उ का 1.75 प्रतिशत था; राजकोषीय घाटा स रा घ उ के 3.50 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष 0.97 प्रतिशत था; एफ आर बी एम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित स रा घ उ के 33.90 प्रतिशत की सीमा के सापेक्ष ऋण 24.08 प्रतिशत था। इसी तरह, 31 मार्च 2023 तक कुल बकाया प्रत्याभूतियां 117 करोड़ थीं जो वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.04 प्रतिशत था और इसलिए एफ आर बी एम सीमा के भीतर थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान दी गई प्रत्याभूतियां स रा घ उ के 0.30 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 0.13 प्रतिशत थी। ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, उत्तराखंड सरकार का सार्वजनिक ऋण 2018-19 से 2022-23 के बीच बकाया सार्वजनिक ऋण की औसतन 6.71 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ा है। उत्तराखंड का बकाया समग्र देनदारी - स रा घ उ अनुपात 2018-19 में 25.20 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 24.08 प्रतिशत हो गया है, जो इंगित करता है कि ऋण स्थिरीकरण संभव हो सकता है।

कोविड वर्ष (2020-21) के दौरान डोमर अंतर (जी-आर के रूप में व्यक्त) नकारात्मक था। हालाँकि, 2021-22 और 2022-23 वर्षों के दौरान, स रा घ उ में उच्च विकास दर के कारण डोमर अंतर सकारात्मक हो गया। उच्च विकास दर के कारण सकारात्मक डोमर अंतर पिछले वर्ष की तुलना में कम आधार के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 2021-22 और 2022-23 में भी क्रमशः ₹ 1,203 करोड़ और ₹ 2,155 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष है। इससे पता चलता है कि स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम के स्थिर स्तर पर आ जाना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो 2018-2023 के अवधि के दौरान 28 प्रतिशत से 81 प्रतिशत के बीच था।

बजट प्रदर्शन

कुल व्यय आउटटर्न

बजटीय उद्देश्य और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट प्रदर्शन की जांच इस बात का आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम किस हद तक अतिरिक्त और

बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। राजस्व खंड में, बजट अनुमानों (बी ई) की तुलना में परिवर्तन में विचलन (-)10.69 प्रतिशत था। यह 26 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत तक, पांच अनुदानों में ± 25 प्रतिशत और ± 50 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी खंड में, बी ई की तुलना में आउटटर्न में विचलन (+)1.58 प्रतिशत था। यह 14 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत तक, आठ अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच और छह अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। पूँजीगत अनुभाग के एक अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

बजट प्रदर्शन यह भी देखता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना में भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह उपाय अंतिम बजट और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को दर्शाता है। राजस्व खंड में, संशोधित अनुमानों (स अ) की तुलना में परिवर्तन में विचलन (-) 11.74 प्रतिशत था। यह 25 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत तक और छह अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी अनुभाग में, स अ की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-)7.37 प्रतिशत था। यह 19 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत तक, छह अनुदानों में ± 25 प्रतिशत और ± 50 प्रतिशत के बीच, तीन अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के बीच और दो अनुदानों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के बराबर विचलन के कारण था। तथापि, पूँजी अनुभाग में एक अनुदान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष के दौरान 33 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ दस करोड़ से अधिक) ₹ 3,355.57 करोड़ के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता आकलन इंगित करता है कि हालांकि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और अंतिम बजट के बीच विचलन 12 प्रतिशत से कम था, लेकिन विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक विचलन थे। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि कई मामलों में पूरक अनुदान थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। इस तरह के विचलन से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट अभ्यास की आवश्यकता होनी चाहिए।

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय विवरण

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय विवरण में ऐसी वस्तुएं, लेन-देन और घटनाएँ शामिल हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियाँ और उन लेखांकन अभिलेखों या

समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है जैसे कि सरकारी लेखों के बाहर धन जमा करना, देनदारियों का गैर या अल्प-निर्वहन और लेन-देन और डेटा अंतराल का गलत वर्गीकरण।

अनुदान/विनियोग से अधिक राशि को नियमित करना

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 (1) (ब) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित कराना होता है। यह देखा गया कि 2022-23 में एक अनुदान के अंतर्गत ₹ 896.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था जिसे नियमित करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, 2005-06 से 2021-22 से संबंधित ₹ 47,758.16 करोड़ के अतिरिक्त संवितरण को अभी तक नियमित नहीं किया गया था।

मिलान

उत्तराखंड बजट मैनुअल 2012 के प्रस्तर 109 के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों को हर महीने महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय में दर्ज आंकड़ों के साथ सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान करना आवश्यक है।

राज्य सरकार ने कुल व्यय के 5.85 प्रतिशत और प्राप्तियों के 0.47 प्रतिशत का मिलान नहीं किया।

लेखों में गलत वर्गीकरण

यह देखा गया कि राजस्व खण्ड के अंतर्गत ₹ 15.23 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। यह व्यय पूंजी खण्ड के अंतर्गत दर्ज किया जाना चाहिए था क्योंकि यह व्यय वृहद निर्माण और भूमि खरीद से संबंधित है।

भारत सरकार के लेखा मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई जी ए एस) की आवश्यकताओं के विपरीत, राज्य सरकार ने आंशिक रूप से आई जी ए एस-1: सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां; आई जी ए एस-2: लेखा और सहायता अनुदान का वर्गीकरण; और आई जी ए एस-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का अनुपालन किया।

पी डी लेखों का संचालन

ट्रेजरी द्वारा संबंधित प्रशासकों के साथ व्यक्तिगत जमा (पी डी) लेखों का मिलान करने की आवश्यकता के सापेक्ष, एक मामले में कोई मिलान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त,

अधिकृत अवधि समाप्त होने के बावजूद, 25 पी डी खाते बंद नहीं किए गए और उनकी शेष राशि राज्य की संचित निधि में हस्तांतरित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, कुल 25 पी डी लेखों में से 12 लेखों में शून्य शेष राशि है, 11 पी डी खाते पांच साल से अधिक समय से निष्क्रिय थे और 05 पी डी खाते तीन साल से अधिक समय से निष्क्रिय थे।

एकल नोडल एजेंसी को धनराशि

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1 (13) पी एफ एम एस/एफ सी डी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (सी एस एस) के अंतर्गत धनराशि जारी करने और एस एन ए के माध्यम से जारी धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया को अधिसूचित किया था। प्रत्येक सी एस एस के लिए, एस एन ए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपने बैंक खाते के साथ स्थापित किया जाता है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार अपने लेखों में प्राप्त केंद्रीय अंश को संबंधित राज्य के अंश के साथ संबंधित एस एन ए के खाते में स्थानांतरित करता है।

पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 4,916.41 करोड़ प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष उसने केंद्रीय अंश ₹ 4,988.15 करोड़, राज्य अंश ₹ 1,303.48 करोड़ और ₹ 81.18 करोड़ की अवर्गीकृत राशि एस एन ए को हस्तांतरित की। ₹ 6,372.81 करोड़ का कुल हस्तांतरण पूर्ण रूप से प्रमाणित किए गए आकस्मिक बिलों के माध्यम से किया गया था। महालेखाकार कार्यालय को एस एन ए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे। पी एफ एम एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 तक एस एन ए के बैंक लेखों में ₹ 3,331.68 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

सशर्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023 तक ₹ 864.32 करोड़ के 268 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल

इसी प्रकार, सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के माध्यम से निकाले गए अग्रिम धन के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक (डी सी) बिल जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2023

तक ₹ 11.36 करोड़ के 74 ए सी बिल, डी सी बिल जमा करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹10.60 करोड़ की राशि के 37 ए सी बिल 2021-22 की अवधि से संबंधित हैं।

प्रचलित नियमों और संहितात्मक प्रावधानों का अनुपालन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। सशर्त अनुदान के सापेक्ष यू सी को समय पर जमा न करना; ए सी बिलों के सापेक्ष डी सी बिल जमा न करना; आई जी ए एस-1, 2 और 3 का पालन न करना; और एस एन ए से व्यय के विवरण की आपूर्ति न करने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 को, उत्तराखण्ड में 33 रा सा क्षे उ थे, जिनमें चार सांविधिक निगम और 28 सरकारी कम्पनियां (नौ निष्क्रिय सरकारी कम्पनियों सहित) और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी शामिल थीं, जो सी ए जी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में 24 रा सा क्षे उ द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था, जिनके 282 लेखे बकाया थे। 12 कार्यरत रा सा क्षे उ द्वारा अर्जित ₹ 232.20 करोड़ के कुल लाभ में से 80.39 प्रतिशत का योगदान केवल तीन रा सा क्षे उ द्वारा किया गया था। सात कार्यरत रा सा क्षे उ द्वारा वहन ₹ 1,272.90 करोड़ की कुल हानि में से, एक रा सा क्षे उ (यू पी सी एल) द्वारा ₹ 1,223.64 करोड़ की हानि वहन की गई। रा सा क्षे उ के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 के दौरान सरकारी कम्पनियों पर निर्गत सी ए जी की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 58.45 करोड़ और वित्तीय स्थिति पर ₹ 147.61 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सी ए जी द्वारा निर्गत कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव, जहां सी ए जी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति-सम्पत्ति/ देनदारियों पर ₹ 339.60 करोड़ था।

राज्य सरकार रा सा क्षे उ के प्रबन्धन को अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रभावित कर सकती है। अन्तिम लेखों के अभाव में, ऐसे रा सा क्षे उ में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। राज्य सरकार हानि में चल रहे रा सा क्षे उ में हानि के कारणों का भी विश्लेषण कर सकती है और उनके संचालन को दक्ष और लाभदायक बनाने हेतु कदम उठा सकती है।